





इकाई- 5

Unit - 5

आर्थिक क्षेत्र में  
सरकार की भूमिका

Economic Presence  
of the Government

अध्याय- 8

कानून और सामाजिक न्याय  
Law and Social Justice

**CLASS**

**VIIIth**

**(Polity)**

**NCERT**

**Based**



By : Karan Sir

इकाई - 5

अध्याय- 8

कानून और सामाजिक न्याय

## कानून और सामाजिक न्याय

क्या आपको कक्षा 7 का 'बाज़ार में एक कमीज़' अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाज़ारों की शृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस शृंखला में हर मोड़ पर क्रय-विक्रय चल रहा था।

## Law and Social Justice

Do you recall the 'Story of a shirt' from your Class VII book? We saw there that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in the chain.

कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, ईरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मज़दूर कमीज़ के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाज़ार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाज़ार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मज़दूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हों।

Many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt - the small farmer producing cotton, the weavers of Erode or the workers in the garment - exporting factory - faced exploitation or an unfair situation in the market. Markets everywhere tend to be exploitative of people - whether as workers, consumers or producers.

लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के ज़रिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर-तरीकों पर अंकुश लगाया जाए।

To protect people from such exploitation, the government makes certain laws. These laws try to ensure that the unfair practices are kept at a minimum in the markets.



आइए बाज़ार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मज़दूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफ़े की चाह में कई बार वे मज़दूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मज़दूरों को उनका मेहनताना न देना

Let us take a common market situation where the law is very important. This is the issue of workers' wages. Private companies, contractors, businesspersons normally want to make as much profit as they can. In the drive for profits, they might deny workers their rights and not pay them wages, for example. In the eyes of the

कानून की नज़र में गैर-कानूनी या गलत है। मज़दूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मज़दूर को न्यूनतम वेतन से कम मज़दूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है।

law it is illegal or wrong to deny workers their wages. Similarly to ensure that workers are not underpaid, or are paid fairly, there is a law on minimum wages. A worker has to be paid not less than the minimum wage by the employer. The minimum wages are revised upwards every few years.

जिस तरह मज़दूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है उसी तरह बाज़ार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के ज़रिए मज़दूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो।

As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interests of producers and consumers in the market. These help ensure that the relations between these three parties – the worker, consumer and producer - are governed in a manner that is not exploitative.

न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

पता लगाएँ-

(क) आपके राज्य में निर्माण मज़दूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है?

(ख) क्या आपको निर्माण मज़दूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है?

(ग) न्यूनतम वेतन कौन तय करता है?

Why do we need a law on minimum wages?

Find out:

a) What is the minimum wage for a construction worker in your state?

b) Do you think the minimum wage for a construction worker is adequate, low or high?

c) Who sets the minimum wages?

अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मज़दूर। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्यस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं।

Workers in a textile mill in Ahmedabad. Faced with greater competition from power looms, a majority of the textile mills closed down during the 1980s and 1990s. Power looms are small units with 4-6 looms. The owners operate them with hired and family labour. It is well known that conditions of work in the power looms are far from satisfactory.



तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें में दिए गए कॉलम (2) और (3) में बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए जरूरी हैं। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें।

तालिका 1

कानून	इसकी जरूरत क्यों है?	यह कानून किसके हित में है?
न्यूनतम मेहनताना कानून। इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए।	बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूँकि मजदूरों को काम की जरूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं।	यह कानून सारे मजदूरों, खासतौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून। उदाहरण के लिए, चेतावनी अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हों।		
चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए यह बताने वाले कानून। उदाहरण के लिए, विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।	विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है।	

Table 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. Columns (2) and (3) in Table 1 state why and for whom these laws are necessary. Based on discussions in the classroom, you have to complete the remaining entries in the table.

**Table 1**


Law	Why is it necessary?	Whose interests does the law protect?
Minimum Wages Act specifies that wages should not be below a specified minimum.	Many workers are denied fair wages by their employers. Because they badly need work, workers have no bargaining power and are paid low wages.	This law is meant to protect the interests of all workers; particularly, farm labourers, construction workers, factory workers, domestic workers, etc.
Law specifying that there be adequate safety measures in workplaces. For example, alarm system, emergency exits, properly - functioning machinery.		
Law requiring that the quality of goods meet certain prescribed standards. For example, electrical appliances have to meet safety standards.	Consumers might be put to risk by the poor quality of products such as electrical appliances, food, medicines.	

जरूरी चीजों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून।		ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीजों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते।
ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं।		
कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून।		
मजदूर यूनियन/संगठन बनाने से संबंधित कानून	यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्यस्थितियों के लिए आवाज उठा सकते हैं।	

Law requiring that the prices of essential goods are not high - For example, sugar, kerosene, foodgrains.		The interests of the poor who will otherwise be unable to afford these goods.
Law requiring that factories do not pollute air or water.		
Laws against child labour in workplaces.		
Law to form workers unions/associations	By organising themselves into unions, workers can use their combined power to demand fair wages and better working conditions.	

कानून बना देना ही काफी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन

But merely making laws is not enough. The government has to ensure that these laws are implemented. This means that the law must be enforced. Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect



Law → En

करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गँवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए।

work sites and punish those who violate the law. When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wage. In such cases, it is crucial that laws are enforced.

(X) Poor → 500-400  
 (O) Powerless

सूत्र


Domestic

अ.?


पति

इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा।

Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. Many of these laws have their basis in the Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the Right against Exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Similarly, the Constitution lays down "no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment."



~~Social Justice~~ (सामाजिक)



## CLASS - VIII - POLITY - KHAN GLOBAL STUDIES

आते हैं? ये कानून सामाजिक  
बोधित करते हैं? इस अध्याय  
करेंगे।

in practice? To what extent  
of social justice? These are  
s chapter will now go on to



① Work का म - Domestic

② Labour - म | बाल  
child

Souin

← Google Bing Search pencil.gov.in

भारत सरकार | Government of India श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | M/o Labour & Employment

Ministry of Labour and Employment Government of India

**PENCiL** G20 भारत 2023 INDIA

Platform for Effective Enforcement for No Child Labour

## World Day against Child Labour (12 June, 2019)

### Deepak, Andhra Pradesh

Deepak belongs to a tribal community. He was a school drop out child and was bound to work in a stone quarry. His life would have been just like an ordinary poor child. He was timely identified by the NCLP survey team and they convinced his parents to enrol him in special training centre under the NCLP scheme.

He completed his schooling with flying colours and presently he is pursuing Engineering course and just an year away to complete it.


If you find any child forced to work anywhere, report to local police station or on Pencil Portal at [www.pencil.gov.in](http://www.pencil.gov.in)

Registered User? Login Here

Complaint/Report a Child Lodge a Complaint

Child Labour Protection Act) 1986-2016

बालश्रम प्रतिषेध



कोई कार्य नहीं  
No work



प्रारंभिक कार्य  
Hardens

## भोपाल गैस त्रासदी

24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड (मिक) गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है...।

MIC

1984

2-1

## Bhopal Gas Tragedy

The world's worst industrial tragedy took place in Bhopal 24 years ago. Union Carbide (UC) an American company had a factory in the city in which it produced pesticides. At midnight on 2 December 1984 methyl-isocyanate (MIC) - a highly poisonous gas - started leaking from this UC plant...

इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान :  
“तकरीबन 12.30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खाँसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुँए से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं। सब कह रहे थे, 'भागो, भागो'। इसके बाद मुझे भी खाँसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में साँस ले रही हूँ। आँखें बुरी तरह जलने लगीं।



Remembers Aziza Sultan, a survivor: "At about 12.30 am I woke to the sound of my baby coughing badly. In the half-light I saw that the room was filled with a white cloud. I heard people shouting 'run, run'. Then I started coughing, with each breath seeming as if I was breathing in fire. My eyes were burning."



तीन दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुँह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

Within three days, more than 8,000 people were dead. Hundreds of thousands were maimed.

8,000

1987



सामूहिक अंतिम संस्कार

जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो-गरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है।

Most of those exposed to the poison gas came from poor, working-class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems and other disorders. Children developed peculiar abnormalities, like the girl in the photo.



गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा


यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे।

The disaster was not an accident. UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut costs. Much before the Bhopal disaster, there had been incidents of gas leak killing a worker and injuring several.



यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन

Q ⇒ Gas Tragedy



सबूतों से पूरी तरह साफ़ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया।

इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ़ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने 3 अरब डॉलर का मुआवजा माँगा था, लेकिन 1989 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फ़ैसले के खिलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फ़ैसले में कोई बदलाव नहीं किया।

Despite the overwhelming evidence pointing to UC as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility.

In the ensuing legal battle, the government represented the victims in a civil case against UC. It filed a \$3 billion compensation case in 1985, but accepted a lowly \$470 million in 1989. Survivors appealed against the settlement but the Supreme Court ruled that the settlement amount would stand.



यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस-रिस कर ज़मीन में जा रहे हैं जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ कैमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है जो इसकी साफ़-सफ़ाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है।

UC stopped its operations, but left behind tons of toxic chemicals. These have seeped into the ground, contaminating water. Dow Chemical, the company who now owns the plant, refuses to take responsibility for clean up.




यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द-गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे

47

24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की माँग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है।

24 years later, people are still fighting for justice: for safe drinking water, for health-care facilities and jobs for the people poisoned by UC. They also demand that Anderson, the UC chairman who faces criminal charges, be prosecuted.

किसी



## एक मज़दूर की कीमत क्या होती है? ?

अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला।


सुरक्षा

Challa

## What is a Worker's Worth?

If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask: why did Union Carbide set up its plant in India?

Accidents are common to construction sites. Yet, very often, safety equipment and other precautions are ignored.



निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएँ आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकती हैं।

50/100

Labour

One reason why foreign companies come to India is for cheap labour. Wages that the companies pay to workers, say in the U.S.A., are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. For lower pay, companies can get longer hours of work. Additional expenses such as for housing facilities for workers are also fewer. Thus, companies can save costs and earn higher profits.

लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटा कर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया था।

6x15  
12-6

8000

Cost cutting can also be done by other more dangerous means. Lower working conditions including lower safety measures are used as ways of cutting costs. In the UC plant, every safety device was malfunctioning or was in short supply. Between 1980 and 1984, the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days! The post of night-shift worker for the MIC plant was abolished.

यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़ें-

“पश्चिम वर्जीनिया (अमेरिका) में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मज़दूरों के अंदाज़े के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था।”

Read the following comparison between UC's safety system in Bhopal and its other plant in the US:

*At West Virginia (U.S.A.) computerised warning and monitoring systems were in place, whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place, but nonexistent in Bhopal.*

अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फ़र्क क्यों हैं? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवज़ा क्यों दिया जा रहा है?


इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मज़दूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मज़दूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह

Why are there such sharp differences in safety standards across countries? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low?

One part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian worker. One worker can easily replace another. Since there is so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in

दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदा के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती हैं।

return for a wage. Making use of the workers' vulnerability, employers ignore safety in workplaces. Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employers.



## सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन

कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुले आम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी?

पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था।

Ar

Q1

## Enforcement of Safety Laws

As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. It is also the duty of the government to ensure that the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. What was the government doing when there were such blatant violations of safety standards in the UC plant?

First, the safety laws were lax in India. Second, even these weak safety laws were not enforced.

Q1 Ar

सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उँगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ़ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोज़गार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की माँग करना असंभव था कि वह साफ़-सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार-बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार-बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी।

Government officials refused to recognise the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality. When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant, which provides jobs. It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to cleaner technology or safer procedures. Government inspectors continued to approve the procedures in the plant, even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong.

कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी, दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करती जा रही थीं।

यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए-नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है।

This, as you know, is contrary to what the role of a law-making and enforcement agency should be. Instead of protecting the interests of the people, their safety was being disregarded both by the government and by private companies.

This is obviously not at all desirable. With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these laws.

आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है?

क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ कानून या नियम तो मौजूद हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? ( उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ़्तार हेलमेट/सीट-बेल्ट न पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना )। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएँ आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं?

Why do you think enforcement of safety laws is important in any factory?


Can you point to a few other situations where laws (or rules) exist but people do not follow them because of poor enforcement? (For example, over-speeding by motorists, not wearing helmet/seat belt and use of mobile phone while driving). What are the problems in enforcement? Can you suggest some ways in which enforcement can be improved?




हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला?



Recently a large travel agency was asked to pay Rs 8 lakh as compensation to a group of tourists. Their foreign trip was poorly managed and they missed Disneyland and shopping in Paris. Why did the victims of Bhopal gas tragedy then get so little for a lifetime of misery and pain?



भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फ़ैक्टरी के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ़ पानी का कोई स्रोत नहीं है।



Pumps at contaminated wells are painted red by the government around the UC factory in Bhopal. Yet, local people continue to use them as they have no other accessible source of clean water.

## पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून

1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक 'मुफ्त' चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा-पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियाँ हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो - पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।

## New Laws to Protect the Environment

In 1984, there were very few laws protecting the environment in India, and there was hardly any enforcement of these laws. The environment was treated as a 'free' entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. Whether it was our rivers, air, groundwater - the environment was being polluted and the health of people disregarded.

ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती थी।

भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह अहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मज़दूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं।

Thus, not only was UC a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. In the U.S.A., this is a necessary part of the production process.

The Bhopal disaster brought the issue of environment to the forefront. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. This made people realise that the existing laws, though weak, only covered the individual worker and not persons who might be injured due to industrial accidents.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही ज़िम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता।

In response to this pressure from environmental activists and others, in the years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to environment. The environment is something that people over generations will share, and it could not be destroyed merely for industrial development.

अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण-मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ़ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएँ तय करे।

The courts also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the Fundamental Right to Life. In *Subhash Kumar vs. State of Bihar (1991)*, the Supreme Court held that the Right to Life is a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute.

### जनसुविधा के रूप में पर्यावरण

हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोज़ी-रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है।

मिसाल के तौर पर, अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था।

अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मज़दूरों के रोज़गार खत्म हो गए। बहुतों को दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहाँ उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मज़दूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है।

### Environment as a Public Facility

In recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely.

For instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. Several of these industries were polluting the neighbourhood and discharge from these industries was polluting the river Yamuna, because they had been set up without following the rules.

But, while the court's action solved one problem, it created another. Because of the closure, many workers lost their jobs. Others were forced to go to far-away places where these factories had relocated. And the same problem now began to come up in these areas – for now these places became polluted. And the issue of the safety conditions of workers remained unaddressed.

भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ़ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ़ मज़दूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं।

अब चुनौती ऐसे समाधान ढूँढ़ने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मज़दूरों के रोज़गार भी बच जाएँगे और समुदायों व मज़दूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा।

Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor. So, for example, slums need to be cleaned as part of a city's beautification drive, or as in the case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city. And while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is little concern for the safety of the workers themselves.

The challenge is to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment. One way this can be done is to gradually move to cleaner technologies and processes in factories. The government has to encourage and support factories to do this. It will need to fine those who pollute. This will ensure that the workers livelihoods are protected and both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment.



गाड़ियों से उत्सर्जित धुआँ पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन.जी.) ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फ़ॉर साइंस ऐण्ड एनवायरनमेंट (नयी दिल्ली) की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊँचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों/कारों के कारण पैदा हो रहे हैं।



Emissions from vehicles are a major cause of environmental pollution. In a series of rulings (1998 onwards), the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to Compressed Natural Gas (CNG). As a result of this move, air pollution in cities like Delhi came down considerably. But a recent report by the Center for Science and Environment, New Delhi, shows the presence of high levels of toxic substance in the air. This is due to emissions from cars run on diesel (rather than petrol) and a sharp increase in the number of cars on the road.



बंद कारखानों के बाहर परेशान मज़दूर

रोज़गार छिन जाने के बाद बहुत सारे मज़दूर छोटा-मोटा व्यापार या दिहाड़ी मज़दूरी करने लगते हैं। कुछ मज़दूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है।



Workers outside closed factories.

Thrown out of work, many of the workers end up as small traders or as daily-wage labourers. Some might find work in even smaller production units, where the conditions of work are even more exploitative and the enforcement of laws weaker.

क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है?

क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें।

Do you think everyone got justice in the case cited above?

Can you think of other ways in which the environment can be protected? Discuss in class.

विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमजोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें और अपने देशों को साफ़-सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान – कीटनाशक, ऐस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व सीसे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं।

Advanced countries are relocating the toxic and hazardous industries to developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe. South Asian countries – particularly India, Bangladesh and Pakistan – play hosts for industries producing pesticides, asbestos or processing zinc and lead.

Ship-breaking is another hazardous industry that is growing rapidly in South Asia. Old ships no longer in use, are sent to ship-yards in Bangladesh and India for scrapping. These ships contain potentially dangerous and harmful substances. This photo shows workers breaking down a ship in Alang, Gujarat.



### निष्कर्ष

चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर-तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का खयाल नहीं रखते और इस तरह आस-पास के लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हैं।

संसद

18-शाही

official

### Conclusion

Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory so as to protect people from unfair practices. Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment (and hence to the people in the neighbourhood) etc.

ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर-तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल 'सही कानून' बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हों और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है।

A major role of the government, therefore, is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. This means that the government has to make 'appropriate laws' and also has to enforce the laws. Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal gas tragedy showed.

इस दिशा में सरकार की तो ज़िम्मेदारी बनती ही है, आम लोग भी दवाब डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहाँ लोगों ने जनहित के लिए दवाब डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मज़दूर अधिकारों (यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्यस्थितियों का अधिकार) के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी खराब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएँ ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके।

While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interests of society. Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the Right to Life. In this chapter, we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. Likewise, workers' rights (right to work, right to a fair wage and decent work conditions) is an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting workers' interests so that the Right to Life is achieved for all.

## अभ्यास

1. दो मजदूरों से बात करके पता लगाएँ कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं।
2. विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है?
3. क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें।
4. जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
5. कानून के ज़रिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें।
6. मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएँ।
7. इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें।
8. आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? (क) हवा; (ख) पानी और (ग) मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं?

## Exercises

1. Talk to two workers (For example, construction workers, farm workers, factory workers, workers at any shop) to find out if they are receiving the minimum wages laid down by law.
2. What are the advantages to foreign companies in setting up production in India?
3. Do you think the victims of the Bhopal gas tragedy got justice? Discuss.
4. What do we mean when we speak of law enforcement? Who is responsible for enforcement? Why is enforcement so important?
5. How can laws ensure that markets work in a manner that is fair? Give two examples to support your answer.
6. Imagine yourself to be a worker working in a chemical factory, which has received orders from the government to move to a different site 100 kms away from the present location. Write about how your life would change? Read out your responses in the classroom.
7. Write a paragraph on the various roles of the government that you have read about in this unit.
8. What are the sources of environmental pollution in your area? Discuss with respect to (a) air; (b) water and (c) soil. What are the steps being taken to reduce the pollution? Can you suggest some other measures?

9. पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें।



10. प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर. के. लक्ष्मण इस कार्टून के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पृष्ठ 105 पर आपने पढ़ा था।

बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा!

9. How was environment treated earlier? What has been the change in perception? Discuss.



It's really cruel burdening kids like this. I had to hire that boy to help my son!

10. What do you think the famous cartoonist R.K. Laxman is trying to convey in this cartoon? How does it relate to the 2016 law that you read about on page 103?

11. आपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस-प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप [www.studentsforbhopal.com](http://www.studentsforbhopal.com) पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, वृत्तचित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध हैं।

इस वेबसाइट तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्रिका (वॉल-पेपर)/प्रदर्शनी तैयार करें। पूरे स्कूल को अपनी रचनाएँ देखने और उन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें।

11. You have read about the Bhopal gas tragedy and the on-going struggle. Students from countries across the world have come together to support this struggle for justice. From protest marches to awareness campaigns, you can read about their activities on the website [www.studentsforbhopal.com](http://www.studentsforbhopal.com). The website also has resources such as photos, posters, documentaries, victims' statements, etc.

Use this and other sources to make a wallpaper/exhibition on the Bhopal gas tragedy for your classroom. Invite the whole school to see and talk about it.



**उपभोक्ता:** जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है।

**उत्पादक:** ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं, उदाहरण के लिए, किसान।

**निवेश:** भविष्य में उत्पादन बढ़ाने/सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा।

**मजदूरों की यूनियन:** मजदूरों का संगठन। आमतौर पर मजदूर यूनियनें कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती हैं लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती हैं।



**Consumer:** An individual who buys goods for personal use and not for resale.

**Producer:** A person or organisation that produces goods for sale in the market. At times, the producer keeps a part of the produce for his own use, like a farmer.

**Investment:** Money spent to purchase new machinery or buildings or training so as to be able to increase/ modernise production in the future.

**Workers' unions:** An association of workers. Workers' unions are common in factories and offices, but might be also found among other types of workers, say domestic workers' unions. The leaders of the union bargain and negotiate with the employer on behalf of its members. The issues include wages, work rules, rules governing hiring, firing and promotion of workers, benefits and workplace safety.

धन्यवाद